संख्या 324/XIV–1/ 2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 29 अप्रैल, 2008

विषयः–वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सहकारिता विभाग के आयोजनागत पक्ष में राज्य योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 267/XXVII (1)/2008 दिनांक 27.3.2008 एवं आपकेपत्र संख्या 98,99 एवं 100 /नियो0/सहभागिता/2008–09 दिनांक 05.04.2008 तथा 101/नियो0/ उर्वरक /2008–09 दिनांक 5.4.2008 तथा 102/नियो0/कारपस फण्ड/2008–09 दिनांक 5.4.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु सहकारिता विभाग के आयोजनागत पक्ष में सहकारी सहभागिता योजना (सामान्य) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान हेतु कुल धनराशि रू0 442.96 लाख रू0 (रूपये चार करोड़ बयालीस लाख छियानब्बे हजार रू0 मात्र), सहकारी सहभागिता योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत 125.04 लाख रू0 (एक करोड पचीस लाख चार हजार रू0 मात्र), सहकारी सहभागिता योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत 34.45 लाख रू0 (चौतीस लाख पैत्तालीस हजार रू0 मात्र), पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक परिवहन पर राज्य सहायता के अन्तर्गत 49.50 लाख (उन्चास लाख पचास हजार रू0 मात्र) तथा पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत 30.00 लाख रू0 (रू0 तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त धनराशियों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, विभागीय प्रस्ताव के पूर्ण परीक्षणोपरान्त नियोजन/वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।

(2) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

(3) सभी कार्यक्रमों/ योजनाओं की मासिक /वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण कर लक्ष्यों के सापेक्ष धनराशि स्वीकृत की जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को शासन तथा वित्त/ नियोजन विभाग को अवगत कराया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों/योजनाओं में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है, यदि उसका उपयोग किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित स्वीकृताधिकारी उसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) उक्त व्यय समय समय पर जारी शासन/ वित्त विभाग के सुसंगत आदेशों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि किसी ऐसे कार्यों/ मद पर व्यय न की जाय जो कि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हो अथवा शासन /सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो।

(6) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष स्तर से व्यय विवरण सहित शासन /महालेखाकार उत्तराखण्ड को एक माह के अन्तर्गत उपलब्ध करा दी जाय।

(8) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 27.3.2008 तथा सहकारी समितियों को अनुदान /राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित विभागीय नियमों, मानकों /शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) जिन योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जाने हो उनमें आगणन की तकनीकी जांच जिला स्तर पर गठित तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) के परीक्षणोपरान्त योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जायेगी।

.उक्त व्यय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक में अनुदान संख्या –18 आयोजनागत के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा–

भवदीय

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या 324/XIV–1/ 2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड माजरा ,देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढवाल/कूमाऊ उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5 वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।